

187
25

पञ्चावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
अप्रार्थी अधिवक्ता श्री मूल सिंह यादव
ने न्यायालय आदेश की पालना में वादग्रस्त
भूमि वरावल के खसरा नंबर 188/25
रकबा 1.3186 हेक्टेयर को श्रीमान जिला
कलक्टर महोदय पाली के कार्यालय आदेश
क्रमांक LC/2025-26/235364 दिनांक
18-7-2025 की प्रति पेश कर भूमि का
संपरिवर्तन हो जाने से धारा 177 की
कार्यवाही को झॉप किये जाने का निवेदन
किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संपरिवर्तन
आदेश की प्रति के अनुसार अप्रार्थी ने
अपनी धारित भूमि का अकृषि प्रयोजन
संपरिवर्तन करवा लिया है। जिससे प्रकरण
में कार्यवाही जारी रखना न्यायसंगत
नहीं है। अंतः प्रकरण में कार्यवाही झॉप
की जाती है। पञ्चावली फैसल शुमार
होकर नंबर से कम हो।



सहायक कलक्टर एवं पदन
उपखण्ड अधिकारी, बाली